

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

:: कार्यालय आदेश ::

राजस्थान शिक्षा सेवा के निम्नांकित व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) का पदस्थापन संशोधन/स्थानान्तरण उनके नाम के सामने अंकित स्थान पर तत्काल प्रभाव से किया जाता है ।

क्र.सं.	नाम कार्मिक	विषय	कहाँ से (राउमावि)	कहाँ को (राउमावि)
1	मुरली मनोहर जोशी	भौतिक	महिलाबाग, जोधपुर	खजवाना (नागौर)
2	गणपत राम गोदारा	भौतिक	लोहावट (जोधपुर)	हीरादेसर (जोधपुर)

उक्त कार्मिक दिनांक: 25.10.2016 तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण कर, कार्यग्रहण की सूचना इस कार्यालय को प्रेषित करें । संबंधित संस्था प्रधानों को निर्देशित किया जाता है कि इनकी कार्यग्रहण / कार्यमुक्ति की सूचना तत्काल इस कार्यालय को प्रेषित करावें । यदि कार्मिक (RVRES) से नियुक्त है तो शहरी क्षेत्र हेतु संबंधित संस्था प्रधान उन्हें कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवायें । परीवीक्षाधीन व्याख्याताओं पर उक्त आदेश प्रभावी नहीं होंगे । उक्त कार्मिकों को योगकाल एवं यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।


(बी.एल.स्वर्णकार)


आईएस

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक-शिविरा/मा./संस्था/सी-3/पदस्थापन-स्थाना./2016-17

दिनांक 20/10/2016

1. विशिष्ट सहायक, मा.राज्य मंत्री(स्वतंत्र प्रभार), प्रा.मा.शिक्षा एवं भाषा विभाग, जयपुर
2. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
संबंधित शिक्षा उपनिदेशक (माध्यमिक) को निर्देशित किया जाता है कि हटने वाले व.अ. का समायोजन उससे
3. संबंधित विषय के व.अ. का पद रिक्त हो तो उसी विधालय में करें अन्यथा निकटम विद्यालय में समायोजित करवाने का श्रम करावें ।
4. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)
5. संबंधित प्रधानाचार्य राउमावि / बा.राउमावि / डाईट को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार शाला दर्पण को तत्काल अपडेट करावें ।
6. सम्बन्धित कार्मिक
7. निजी एवं रक्षित पत्रावली


'संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर